न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश सहारण, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या :—05 / 2023

1. अल्ला रखा पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान निवासी 2 एस टी वाई ग्राम पंचायत 5 एम एल डी ए तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 5 एम एल डी ए जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 5 एम एल डी ए पंचायत समिति घड़साना जिला अनूपगढ़।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित:—
1. श्री तिलक राज चुघ अधिवक्ता , निगरानीकर्ता की ओर से
2. राजपैरोकार, गैरनिगरानीकर्ता की ओर से

|| निर्णय || दिनांक: 04.09.2024

प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता के पिता रमजान खां पुत्र मुसलिम खां के नाम से वाके 2 एस टी वाई आबादी में एक पटटेशुदा भूखण्ड साईज 20 गुणा 40 वर्गगज है जिसका पटटा ततकालीन ग्राम पंचायत रोजडी पंचायत समिति अनूपगढ द्वारा दिनांक 10.01.1974 को जारी किया गया था। निगरानीकर्ता के पिता ने अपने जीवनकाल में अपने उक्त पटटाशुदा भूखण्ड की एक वसीयत दिनांक 23.08.2019 को निगरानीकर्ता के पक्ष में बरोबरू गवाहन निष्पादित करवाई थी। निगरानीकर्ता के पिता रमजान खां की मृत्यू हो चुकी है जिनके देहान्त के उपरांत वसीयत दिनांक 23.08.2019 प्रभाव में आ चुकी है तथा उक्त पटटेशुदा भूखण्ड के सम्बन्ध में समस्त हक अधिकारी अधिपत्य निगरानीकर्ता में निहित हो चुके है जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा वसीयत के आधार पर उक्त पटटेशुदा भूखण्ड का अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए ग्राम पंचायत 5 एम एल डी ए के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत 5 एम एल डी ए द्वारा अपने आदेश क्रमांक ग्रा.प./311 दिनांक 14.03.2023 जारी कर वसीयत पंजीकृत नहीं होने व समस्त वारिसों का ग्राम पंचायत की पाक्षिक में उपस्थित नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा पटटे वारिस इन्तकाल नहीं किया जा सकेगा, के आदेश दिए गए है एवं उक्त आदेश में अंकित किया गया है कि अपीलांट के पिता रमजान खां के नाम से जारी पटटे का वसीयत इन्तकाल दर्ज करने के लिए वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक है तथा समस्त वारिसों का ग्राम पंचायत पाक्षिक में उपस्थित होना आवश्यक है जिस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता का निवेदन है कि मृतक के समस्त वारिसों को ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत उपस्थित होना कतई आवश्यक नहीं है क्योकि मृतक स्व. रमजान के वारिसान निगरानरीकर्ता व अब्दुल सतार का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर मृतक के वारिसान द्वारा वसीयत के आधार पर उक्त पटटेशुदा भूखण्ड का इन्तकाल निगरानीकर्ता के पक्ष में करने के लिए अपनी सहमति प्रकट की गई है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज की अनदेखी कर जैरबहस निगरानी आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है एवं अपीलांट के पिता स्व. रमजान खां के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी पटटेशुदा भूखण्ड के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 23.08.2019 विधि मान्य दस्तावेज है तथा उक्त वसीयत स्व. रमजानखां

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

की मृतयु के पश्चात प्रभाव में आ चुकी है तथा वसीयत के आधार पर उक्त पटटेशुदा भूखण्ड के सम्बन्ध में समस्त हक अधिकार, आधिपत्य व स्वामित्व अपीलांट में निहित है अतः उक्त आदेश ग्रा.प./311 दिनांक 14.03.2023 निरस्त कर उक्त पटटेशुदा भूखण्ड साईज 20 गुणा 40 वर्गगज का स्व. रमजानखां द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 23.08.2019 के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया, जो प्राप्त नहीं हुआ। निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि निगरानीकर्ता के पिता रमजान खां पुत्र गुरालिग खां के नाम से वाके 2 एस टी वाई आबादी में एक पटटेशुदा भूखण्ड साईज 20 गुणा 40 वर्गगज है जिसका पटटा ततकालीन ग्राम पंचायत रोजडी पंचायत समिति अनूपगढ द्वारा दिनांक 10.01.1974 को जारी किया गया था। निगरानीकर्ता के पिता ने अपने जीवनकाल में अपने उक्त पटटाशुदा भूखण्ड की एक वसीयत दिनांक 23.08.2019 को निगरानीकर्ता के पक्ष में बरोबरू गवाहन निष्पादित करवाई थी। निगरानीकर्ता के पिता रमजान खां की मृत्यू हो चुकी है जिनके देहान्त के उपरांत वसीयत दिनांक 23.08.2019 प्रभाव में आ चुकी है तथा उक्त पटटेशुदा भूखण्ड के सम्बन्ध में समस्त हक अधिकारी अधिपत्य निगरानीकर्ता में निहित हो चुके है जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा वसीयत के आधार पर उक्त पटटेशुदा भूखण्ड का अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए ग्राम पंचायत 5 एम एल डी ए के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत 5 एम एल डी ए द्वारा अपने आदेश क्रमांक ग्रा.प./311 दिनांक 14.03.2023 जारी कर वसीयत पंजीकृत नहीं होने व समस्त वारिसों का ग्राम पंचायत की पाक्षिक में उपस्थित नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा पटटे वारिस इन्तकाल नहीं किया जा सकेगा, के आदेश दिए गए है एवं उक्त आदेश में अंकित किया गया है कि अपीलांट के पिता रमजान खां के नाम से जारी पटटे का वसीयत इन्तकाल दर्ज करने के लिए वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक है तथा समस्त वारिसों का ग्राम पंचाायत पाक्षिक में उपस्थित होना आवश्यक है जिस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता का निवेदन है कि मृतक के समस्त वारिसों को ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत उपस्थित होना कतई आवश्यक नहीं है क्योकि मृतक स्व. रमजान के वारिसान निगरानरीकर्ता व अब्दुल सतार का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर मृतक के वारिसान द्वारा वसीयत के आधार पर उक्त पटटेशुदा भूखण्ड का इन्तकाल निगरानीकर्ता के पक्ष में करने के लिए अपनी सहमति प्रकट की गई है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज की अनदेखी कर जैरबहस निगरानी आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है एवं अपीलांट के पिता स्व. रमजान खां के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी पटटेशुदा भूखण्ड क सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 23.08.2019 विधि मान्य दस्तावेज है तथा उक्त वसीयत स्व. रमजानखां की मृतयु के पश्चात प्रभाव में आ चुकी है तथा वसीयत के आधार पर उक्त पटटेशुदा भूखण्ड के सम्बन्ध में समस्त हक अधिकार, आधिपत्य व स्वामित्व अपीलांट में निहित है अतः उक्त आदेश ग्रा.प./311 दिनांक 14.03.2023 निरस्त कर उक्त पटटेशुदा भूखण्ड साईज 20 गुणा 40 वर्गगज का स्व. रमजानखां द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 23.08.2019 के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

निगरानीकर्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयतनामा का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयतनामा के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पचांयत रोजडी पंचायत समिति अनूपगढ द्वारा चक 2 एस टी वाई आबादी के पटटा शुदा भूखण्ड साईज 20 गुणा 40 वर्गगज दिनांक 10.01.1974 को निगरानीकर्ता के पिता रमजान खां के नाम से जारी किया गया है। उक्त पटटे की वसीयत निगरानीकर्ता के पिता रमजान खां द्वारा दिनांक 23.08.2019(प्रदर्शित 01) को गवाहान सं. 01 अल्लादित्ता पुत्र रमजान खां जाति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

मुसलमान साकिन 2 एस टी वाई तहसील घडसाना व गवाहान सं. 02 मांगे खां पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान साकिन 14 एस एल डी तहसील घडसाना के समक्ष निगरानीकर्ता के पक्ष में की गई है। वसीयतनामा दिनांक 23.08.2019 के गवाहान सं. 01 अल्लादित्ता पुत्र रमजानखां जाति मुसलमान साकिन 2 एसटीवाई तहसील घडसाना एवं गवाहान सं. 02 मांगे खां पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान साकिन 14 एस एल डी तहसील घडसाना द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 23.08.2024 में वर्णित किया है कि रमजान खां पुत्र मुसलिम खां द्वारा निगरानीकर्ता अल्लारखा पुत्र रमजान खां की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने उक्त पटटाशुदा भुखण्ड साईज 20 गुणा 40 की वसीयत दिनांक 23.08.2019(प्रदर्शित 01) को निगरानीकर्ता के पक्ष में रोबरू गवाहन अल्लादित्ता व मांगे खां के समक्ष अपने पूर्ण स्वस्थचित एवं बिना किसी दवाब के अपने पूर्ण होश हवाश में तहरीर करवायी गयी है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ग्राम पंचायत 5 एमएलडी ए पंचायत समिति घड़साना जिला अनूपगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक ग्रा.प. /311 दिनांक 14.03.2023 को सारहीन होने के कारण निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत 5 एमएलडी ए पंचायत समिति घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि वसीयत दिनांक 23.08.2019(प्रदर्शित 01) के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक ०५.९.२४ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़।

Scanned with OKEN Scanner